और अंग्रेजी लाने को तैयार हैं ? आजकल उन इंस्टीट्यूशंस में अंग्रेजी के अलावा और कोई भाषा नहीं है और जो लड़के अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई करते हैं और पास होते हैं वे इन कालेजेज के कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन्स में फैल हो जाते हैं क्योंकि यहां केवल अंग्रेजी में ही परीक्षाएं होती हैं। दिल्ली का आल इंडिया मैडिकल इंस्टीट्यूट भी उन्ही मे से एक है। इसमे भी हिन्दी का कोई स्थान नही है।

दूसरे जब आप मैडिकल पुस्तको के ट्रांस्लेशन के लिए कह रहे हैं ता इसमे करोडो रुपयो का खर्चा आएगा। मै जानना चाहता हू कि इस साल के बजट मे इसके लिए क्या आपने कोई पैसा रखा है जिसमे किताबो का ट्रांस्लेशन हो सके ? अगर नही रखा है तो क्या अब रखेगे ?

श्री राज नारायण : म मलहोत्रा जी का बहुत ही अनगृहीत हू कि उन्होंने प्रश्न के द्वारा बहुत सी समस्याओं पर प्रकाश डाला है। करीब करीब सभी सम्मानित सदस्यों ने यहां कहा है। यह भाषा का प्रश्न बडा जटिल है। अगर हम केन्द्र द्वारा सचालित मैडिकल कालेजो मे अंग्रेजी को हटा दें तो दूसरी जगह जहां हम एड दे रहे है वहा क्या न हटाए। वहा भी हटाना होगा। ये सब चीजे इतनी दुरूह है, इतनी जटिल हैं कि इस समस्या का समाधान हमारे फोर फादर्ज फाउडर्ज कान्स्टीट्यूशन मेकर्ज, सविधान निर्माता भी नही कर पाए और उन्होंने पद्रह साल के लिए अंग्रेजी रही। लेकिन यह अंग्रेजी की पूछ सुरसा राक्षस की तरह बढ़ती जा रही है। माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि किताबों के लिए बजट मे कुछ रखा है क्या तो इसका उत्तर यह है कि अभी बजट पास कहा हो गया है, किताबों के अनुवाद के लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, यह तो बाद की बात है।

विभागेतर कर्मचारियों को खपना

331\. श्री राम केदार सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग मे विभागेतर कर्मचारियो को स्थायी रूप से विभाग में खपा लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो विभाग मे ऐसे कर्मचारियों को कितने वर्ष की सेवा के बाद विभाग में स्थायी रूप से खपा लिया जाता है ;

(ग) जिला शिमला मे ऐसे विभागेतर कर्मचारियो की सख्या क्या है जो विभाग मे स्थायी रूप से खपा लिए गए हैं ,

(घ) ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है जो अपेक्षित सेवावधि के बाद भी स्थायी रूप मे नही खपाए गए है , और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय): (क) यह समझते हुए कि प्रश्नकर्ता का तात्पर्य विभागेतर कर्मचारियो से है, ऐसे कर्मचारियों को विभाग मे यथासमय नियमित काडरो मे स्थायी रूप मे खपाए जाने के लिए कुछ सुविधाएं दी जाती हैं।

(ख) ऐसा कुछ निर्धारित नही है कि कितने वर्ष की सेवा के बाद विभागेतर कर्मचारियों को स्थायी रूप से खपा लिया जाएगा। तथापि, 3 वर्ष की सेवा के बाद और 40 वर्ष की आयु तक वे विभाग मे खपाए जाने के लिए परीक्षा मे बैठने के पात्र हो जाते है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान शिमला जिले के 19 विभागेतर कर्मचारियो को विभाग मे स्थायी रूप से खपा लिया गया है।

(घ) और (ङ) शिमला जिले मे इस समय 751 विभागेतर कर्मचारी काम कर

रहे हैं। निर्धारित परीक्षा पास कर लेने के बाद और खाली स्थान उपलब्ध होने पर इन कर्मचारियों को उनकी योग्यता के क्रम के अनुसार विभाग में खपाए जाने के बारे में विचार किया जाता है।

श्री राम केशर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या हाल ही में मेरठ में इन विभागेतर कर्मचारियों का कोई सम्मेलन हुआ था जिस में सरकार के राज्य मंत्री महोदय भी गए थे यदि हां तो क्या उस में की गई मांगों पर सरकार विचार करेगी ?

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय : उन पर विचार किया जा रहा है।

श्री राम केशर सिंह : क्या सरकार इन विभागेतर कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारी बनाने के लिए कोई क्रमबद्ध योजना लागू करेगी, यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय : अभी इस समस्या पर विचार किया जा रहा है। निकट भविष्य में उस पर फैसला हो जाएगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या यह सही नहीं है कि टेलीफोन विभाग में साढ़े तीन लाख कैज्युल कर्मचारियों के रूप में लोग काम कर रहे हैं और इन में से अधिकतर को तीन साल से ले कर आठ नौ साल तक एक ही स्थान पर लगातार काम करते हुए हो गए हैं, इनका काम लगातार चलता आ रहा है लेकिन फिर भी इनको स्थायी नहीं किया गया है ? आपने बताया है कि कोई अनियमितता नहीं है। जबकि प्राइवेट उद्योग में किसी को तीन महीने तक एक ही स्थान पर काम करते हुए हो जाते हैं तो उसे उनको स्थायी करना होता है और इसके लिए आपने कानून बना रखा है तो क्यों नहीं इस कानून को आप अपने यहां लागू करते हैं ?

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय : यह सवाल कैज्युअल लेबर के बारे में नहीं है यह विभागेतर कर्मचारियों के बारे में है।

MR. SPEAKER: How can he answer that? You have not given notice. This question does not arise from this question. Therefore, you have to give a separate notice for that

श्री हुकम चन्द कछवाय : इनके उत्तर से यह सवाल पैदा होता है।

SHRI A. SUNNA SAHIB: In Kerala thousands of people have been working as extra departmental employees. Will the hon. Minister come forward to make them permanent so that they can have all the facilities that permanent employees have?

SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI: I could not catch his question.

MR. SPEAKER: He says that there thousands of people working in Kerala who have not been made permanent. Will you take steps to make them permanent?

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय : हम उस पर विचार कर रहे है।

SHRI G. S. REDDI: May I know why this division of departmental and non-departmental services is going on for years together?

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय : अध्यक्ष जी, यह जो सवाल है सिर्फ शिमला जिले से संबंधित है। इसलिये जो माननीय सदस्य ने पूछा उसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री मनोहर लाल : मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि 3 साल तक काम करने के बाद या 40 साल की उम्र तक पी० एन्ड टी में उनको मौका

किया जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कानपुर में 450 मजदूर कैजुअल हैं जो 5 साल से काम कर रहे हैं और डी० एम० टी० उनको निकाल रहे हैं। तो क्या मंत्री जी इस पर कार्यवाही करेंगे ताकि इन 450 मजदूरों को स्थायी किया जाय और उनको निकाला न जाये ?

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय : अध्यक्ष जी जैसा मैंने कहा यह ऐक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ऐजन्ट्स के प्रश्न से सम्बन्धित है। यह प्रश्न कैजुअल लेबर से सम्बंधित नहीं है। इसलिये इस के लिये अलग से नोटिस चाहिये।

स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली से रेडक्रास सोसाइटी का पैसा गायब हो जाना

श्री बसन्त साठे ·
*332 **श्री उग्रसेन** ·

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारतीय रेडक्रास सोसाइटी का पैसा स्टेट बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली से गायब हो जाने के बारे में 22 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4880 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इस मामले की जांच पूरी हो गई है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) उक्त जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण): (क) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पुलिस ने इस मामले की छानबीन की है और अब यह मामला न्यायाधीन है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

श्री बसन्त साठे : इतना छोटा जवाब जिन्दगी में आज पहली बार इन से सुना है, इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मामला न्यायाधीन है इस बात की आड़ लेने से काम नहीं चलेगा। अक्सर तो न्यायाधीन चीजों की बहुत सी जानकारी वैसे ही आप बाहर दे देते हैं, तो इस मामले में मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सी० बी० आई० ने जांच की उसमें कितना फंड मिसिंग था और कितना पैसा इनवाल्व्ड है, इसको कम से कम आप जानकारी देंगे। इस से तो न्यायाधीन का कोई मतलब नहीं है।

श्री राज नारायण · भारतीय रेडक्रौस सोसाइटी ने बतलाया है कि मार्च, 1975 में 8 चैक चुराये गये। इन 8 चैकों में से 6 चैक, जिनका मूल्य 50,100 रु० था जाली हस्ताक्षर से फरवरी, मार्च 1975 में भुनाये गये। भारतीय रेड क्रौस सोसायटी ने इन चैकों को खोने और अनधिकृत भुगतान किये जाने की रिपोर्ट पुलिस तथा बैंक को दे दी। फरवरी, 1975 में जाली हस्ताक्षर से सोसाइटी के अकाउण्ट से जो 50,100 रु० निकाले गये थे स्टेट बैंक आफ इंडिया ने भारतीय रेडक्रौस सोसाइटी को उसका प्रौविजनल भुगतान कर दिया है।

श्री बसन्त साठे : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो जाली चैक बनाये गये थे तो वह किस ने बनाये, कौन व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार थे और किस के नाम से यह जाली चैक बनाए गये थे ?

श्री राज नारायण : सम्मानित सदस्य अगर हमारा उत्तर सुने होते तो मामला स्पष्ट हो गया होता। वह तो उत्तर नहीं सुन रहे हैं। मैं बोलता हूं कुछ, वह बैठे हैं कहां और उनका दिमाग कहीं बाहर है।